In the Court of ACJM, Teghra

G.R Case No. 3876/2023

Teghra P.S. Case No. 307/2023

State Vs. Satyajeet Kumar

29.04.24

एकमात्र काराधीन अभियुक्त सुमन कुमार को कारा से न्यायालय में नहीं लाया गया मात्र v/c न्यायालय में लाया गया।

D.L.S.A द्वारा अभियुक्त की ओर से नियुक्त अधिवक्ता को पुलिस कागजात की कापी दी गयी।

जमानत आवेदन

काराधीन अभियुक्त सुमन कुमार की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा नवीन विधिक शक्ति-पत्र के साथ जमानत आवेदन पत्र दाखिल किया गया है जिसकी प्रति विद्वान APO को प्राप्त करायी गयी है। जमानत आवेदन पत्र को विद्वान अधिवक्ता प्रस्तावित करते हैं। उनका कथन है कि प्रार्थी सर्वथा निर्दोष एवं उन्हें झूठा फंसाया गया है इन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है। उनका यह भी कथन है कि ग्रामीण दुश्मनी के कारण प्रार्थी को फंसाया गया है। प्रार्थी के चेतन देह या आवासीय परिसर से कोई लूटी गयी वस्तु या कोई आपत्तिजनक सामग्री की बरामदगी नहीं किया गया है। उनका यह भी कथन है कि आवेदक के विरुद्ध तेघड़ा थाना कांड सं०-29/2021 का आपराधिक इतिहास है। प्रार्थी अभियुक्त दिनांक 16.10.2023 से काराधीन है। अतः अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाय।

विद्वान A.P.O द्वारा जमानत का घोर [illegible]

Schedule XLII-High Court (J) 19 [Old (M)164]

In the Court of ACJM, Teghra

G.R Case No. 3876/2023

Teghra P.S. Case No. 307/2023

Vs.

Order S. No.	Date of Order of proceeding	Order with signature of the Court	Office action taken with date
1	2	3	4
	लगातार 29.04.24	विरोध किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभियुक्त दिनांक 16.10.2023 से न्यायिक हिरासत में है। अभियुक्त के विरुद्ध वाद में धारा- 393, 394 भा०द०वि० एवं 25(1-B)a, 26, 35 शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत संज्ञान लिया गया है जो अत्यंत गंभीर प्रकृति का है। जब्ती सूचि उपलब्ध है। प्रस्तुत वाद के एक अन्य अभियुक्त घटना स्थल से गिरफ्तार किये गये हैं और अभियुक्त उक्त तिथि को घटना स्थल से भाग गया। अभियुक्त के विरुद्ध एक अन्य वाद तेघड़ा थाना कांड सं०- 294/2021 है। जो लंबित है। प्रार्थी अभियुक्त के विरुद्ध अपराध की प्रकृति जघन्य प्रकृति की है और इसके लिये सजा आजीवन कारावास तक प्रावधान है। अतः ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थिति के आलोक में अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है अतः अभियुक्त सुमन कुमार का जमानत आवेदन खारिज किया जाता है। दिनांक 06.05.24 वास्ते आरोप के बिंदु पर सुनवाई हेतु। नियत तिथि को अभियुक्त को उपस्थापित करावें। अ०मु०न्या०दं०	